संख्या–537/VI-2/2013–4(खेल)2004

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक : 23 अक्टूबर, 2013

विषय :जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय खेल कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1038/ह0स्टे0पत्रा0भाग–2/2012–13 दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय खेल कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹2760.24 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹2288.64 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹471.60 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹12.50 करोड़ (₹बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्राजेक्ट के रूप में करते हुये दिनांक 26–12–2012 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के कम में जारी कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रथम फेज के कार्यो को नियत समय से पूर्ण कर लिया जाय, ताकि Cost over & run न हो। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। आगामी स्वीकृति मांगे जाने के समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवश्य अवगत कराया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, तथा शासनादेश संख्या–413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून, 2013 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराने होंगे।

12. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

13. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

14– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा

खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें – 0105–13वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में हल्द्वानी (नैनीताल में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण)– 24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–78(पी)/XXVII–3/2013–14 दिनांक–21, अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

संख्या–537 (1)/VI-2/2013–04 (खेल) 2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, कक्ष संख्या–19, सचिवालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. निदेशक, फाईनेंन्स कमीशन डिविजन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक–11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110001.
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. महा प्रबंधक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून/इकाई प्रभारी, गोलापार, हल्द्वानी, जनपद– नैनीताल।
9. सहायक निदेशक, खेल, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. एन0आई0सी0 देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।